

**ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष के साधारण कारावास व ₹5000-5000 के अर्थदंड से हुये दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ACJM/SD कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 30-05-2025 को मु0अ0सं0 80/2011 धारा 34, 323, 504, 506, 325 भादवि थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्तगण चन्दशेखर पुत्र डल्लू राजभर, सतेंद्र पुत्र डल्लू राजभर, सनमाती पत्नी डल्लू राजभर निवासीगण चौहानगढ़ थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 01-01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹5000-5000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री प्रिया सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी रामभवन थाना कोपागंज का सराहनीय योगदान रहा।

**अज्ञात द्वारा फर्जी मैसेज भेज कर आवेदिका से यूपीआई के माध्यम से मंगाये गये कुल धनराशि 5000 रुपये थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया—**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अज्ञात द्वारा फर्जी मैसेज भेज कर आवेदिका से यूपीआई के माध्यम से मंगाये गये, पीडित वर्तिका तिवारी पुत्री विनोद कुमार तिवारी निवासी मुन्शीपुरा पशु अस्पताल के पीछे थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के कुल धनराशि 5000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना कोतवाली नगर के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम—

निरीक्षक अपराध श्री सोनू कुमार, म0उ0नि0 सपना, क0आ0 नवनीत पाण्डेय, म0का0 सोनम सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

**01 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—**

आज दिनांक 30.05.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान 01 नफर वारण्टी अभियुक्त इस्तेयाक अहमद पुत्र मुहम्मद इब्राहिम निवासी बुलाकीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया।